ओवरव्यू

ओवरव्यू

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 23 अनुच्छेद, जो अधिक, अनियमित, निष्फल व्यय, परिहार्य भुगतान, राज्य सरकार को हानियों, नियमों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में कमियों इत्यादि से संबंधित, ₹ 16,715.89 करोड़ की राशि से आवेष्टित हैं। कुछ मुख्य परिणाम नीचे उल्लिखित हैं:

निष्पादन लेखापरीक्षा

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली

हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना फरवरी 1970 में हिसार में हुई थी और 31 अक्तूबर 1991 को इसका नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (विश्वविद्यालय) रख दिया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि, कृषीय अभियांत्रिकी, गृह विज्ञान और अन्य संबद्ध विज्ञानों में शिक्षा प्रदान करना; शिक्षा और अनुसंधान के उत्थान तथा राज्य में ग्रामीण लोगों तक ऐसे विज्ञान का विस्तार करना है। विश्वविद्यालय की निष्पादन लेखापरीक्षा में वित्तीय प्रबंधन और मूलभूत संरचना विकास में कमियां प्रकट हुईं जिसके कारण विश्वविद्यालय की संपूर्ण उद्देश्य प्राप्त करने की योग्यता को क्षीण कर दिया। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का सारांश नीचे दिया गया है:

₹ 3.12 करोड़ के अनुदान अव्ययित पड़े थे क्योंकि वे स्रोत एवं प्रयोजन, जिनके लिए ये अनुदान प्राप्त हुए थे, ज्ञात नहीं थे। ₹ 22.22 करोड़ के अस्थाई अग्रिम असमायोजित रहे।

(अनुच्छेद 2.1.6.2 और 2.1.6.3)

कृषि महाविद्यालय, हिसार और आधारभूत विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय, हिसार में पी.जी. डिप्लोमा और एम.बी.ए. कोर्स में दाखिले में 40 तथा 56 प्रतिशत के मध्य कमी थी।

(अनुच्छेद 2.1.7.1)

विश्वविद्यालय में 55 प्रतिशत शिक्षण स्टाफ और 41 प्रतिशत गैर-शिक्षण स्टाफ की कमी थी।

(अनुच्छेद 2.1.7.2)

विश्वविद्यालय परिसर के हॉस्टलों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव था; दो हॉस्टलों का रखरखाव बहुत खराब था। इसी तरह, कौल में स्थित ब्रह्मसरोवर हॉस्टल की हालत बहुत खराब थी।

(अनुच्छेद 2.1.7.5 और 2.1.7.6)

विशेषज्ञ वैज्ञानिक की नियुक्ति के अभाव में टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला अक्रियात्मक पड़ी थी।

(अनुच्छेद 2.1.7.8)

अन्य एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित 100 अनुसंधान परियोजनाओं में से केवल 49 अनुसंधान परियोजनाएं पूरी हुईं और 51 परियोजनाएं अधूरी रह गईं।

(अनुच्छेद 2.1.8.1)

बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए पहचानी गई 56 तकनीकों में से केवल 13 तकनीकों के संबंध में बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त किए गए थे।

(अनुच्छेद 2.1.8.3)

राम धन सिंह बीज फार्म की केवल 44 प्रतिशत और 50 प्रतिशत खेती योग्य भूमि का उपयोग क्रमशः खरीफ और रबी मौसम के दौरान किया गया था। इसके अतिरिक्त, निधियों की उपलब्धता के बावजूद सिंचाई का प्रबंध न करने के कारण खरीफ और रबी मौसम में फसलें खराब हुईं।

(अनुच्छेद 2.1.9.1(i))

नमूना-जांच किए गए नौ कृषि विज्ञान केंद्रों में से पांच कृषि विज्ञान केंद्रों में कृषि योग्य भूमि का उपयोग कम हुआ।

(अनुच्छेद 2.1.10.1)

बड़ी संख्या में फसल की नई किस्मों को फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन के माध्यम से प्रचारित नहीं किया गया; दूसरी ओर फ्रंट लाइन डेमोंस्ट्रेशन का आयोजन पुरानी किस्मों पर किया गया था। इसके अतिरिक्त, किसानों द्वारा फसलों की नई किस्मों को न अपनाने के मामले भी थे।

(अनुच्छेद 2.1.10.2)

2011-13 के दौरान ₹1.18 करोड़ की निधियां जारी करने के बावजूद छः कृषि विज्ञान केंद्रों में सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित नहीं किए गए थे।

(अनुच्छेद 2.1.10.3)

अनुपालन लेखापरीक्षा

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

यूरिया की उपलब्धता और गुणवत्ता नियंत्रण

यद्यपि यूरिया की उपलब्धता पर्याप्त थी, फिर भी प्रणालीगत कमियां थी। यूरिया के बफर स्टॉक का रख-रखाव नहीं किया गया क्योंकि 38.79 लाख मीट्रिक टन यूरिया खरीदने के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 17.74 लाख मीट्रिक टन यूरिया की खरीद की गई थी। नमूना-जांच किए गए जिलों में यूरिया का प्रयोग मानदंडों से अधिक था, यह अधिकता 1.54 और 53.23 प्रतिशत के मध्य थी। इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रावली का पालन नहीं किया गया था क्योंकि उर्वरकों के नमूनों के संग्रहण में कमी (6,267 नमूनों के संग्रहण के लक्ष्य के विरूद्ध 4,709 नमूने संग्रहित किए गए थे), उर्वरकों की गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं का कम उपयोग और उन डीलरों, जिनके नमूने अवमानक पाए गए थे, के विरूद्ध अपर्याप्त कार्रवाई के दृष्टांत पाए गए थे क्योंकि कानूनी

कार्रवाई केवल नौ डीलरों के विरूद्ध प्रारंभ की गई जबकि 37 डीलरों के विरूद्ध पर्याप्त कार्रवाई नहीं की गई। मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का भी कम उपयोग किया गया था। चूंकि मृदा के नमूनों के विश्लेषण 13.49 प्रतिशत और 45.92 प्रतिशत के मध्य कम किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम का कार्यान्वयन धीमी गति से हुआ।

(अनुच्छेद 3.1)

अधिसूचित क्षेत्रों में भू-जल उपयोग की निगरानी

भू-जल प्रबंधन के लिए भू-जल कक्ष काफी कम स्टाफ के साथ काम कर रहा था, जो कि उनकी गतिविधियों को पूरा करने की क्षमता को बाधित कर रहा था। 471 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के निर्माण के विरूद्ध केवल 241 रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया गया था। इसी प्रकार 339 पीजोमीटर की स्थापना के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 242 पीज़ोमीटर की स्थापना की गई थी। लघु सिंचाई के लिए किसानों को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। भू-जल निकालने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्रों की शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया था तथा पानी के मीटरों की स्थापना न करने, निर्धारित सीमा से अधिक ट्यूबवेलों के निर्माण, पीजोमीटरों को स्थापित न करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण एवं रख-रखाव न करने के कई उदाहरण थे।

(अनुच्छेद 3.2)

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

ब्याज का अतिरिक्त भार

विभाग ने भारतीय खाद्य निगम से अंतिम और अनंतिम खरीद पर आकस्मिक प्रभार के अंतर की राशि के ₹ 66.31 करोड़ के दावे 979 दिनों तक की देरी से प्रस्तुत किए जिसके कारण राज्य के राजकोष पर ₹ 7.88 करोड़ का परिहार्य ब्याज का भार पड़ा।

(अनुच्छेद 3.3)

धान के संदिग्ध दुर्विनियोजन के कारण हानि

जिला खाद्य सिविल आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रकों, फतेहाबाद और अंबाला ने कस्टम मिलिंग चावल के लिए दो मिलरों का पंजीकरण उनकी वित्तीय और तकनीकी क्षमताओं का आकलन किए बिना और अपेक्षित गारंटी तथा तीसरे पक्ष की ज़मानत प्राप्त किए बिना किया। इसके कारण राज्य के खजाने को ₹ 24.04 करोड़ की हानि हुई, क्योंकि विभाग और हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड के अधिकारियों की मिलीभगत से दो राइस मिलरों द्वारा 14,904 मीट्रिक टन धान का संदिग्ध दुर्विनियोजन हुआ।

(अनुच्छेद 3.4)

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग

दवाओं के नमूनों के संग्रहण और प्रयोगशाला विश्लेषण में अनियमितताएं

अंबाला, कुरूक्षेत्र और पंचकुला जिलों में दवाओं के नमूनों के संग्रहण एवं प्रयोगशाला विश्लेषण की लेखापरीक्षा से सामने आया कि कुल 1,846 लाईसेंसधारी इकाइयों में से, केवल 314 इकाइयों के नमूने लिए गए और 1,532 लाईसेंसधारी इकाइयां बिना जांच किए रह गई; 53.45 प्रतिशत नमूनों के मामले में नमूना विश्लेषण रिपोर्ट छः माह से अधिक देरी के बाद जारी की गई; और अवमानक पाए गए नमूनों की वापसी और चेतावनी जारी करने की कार्रवाई अत्यधिक विलंब से प्रारंभ की गई, जिसके कारण जन-साधारण द्वारा अवमानक दवाओं के उपभोग का जोखिम था। अवमानक दवाओं को नष्ट करने की निगरानी नहीं की गई थी और बाद के बैचों की जांच नहीं की गई थी। अवमानक दवाओं का विनिर्माण, वितरण और बिक्री आम जनता के जीवन और स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम से भरा था।

(अनुच्छेद 3.5)

स्वास्थ्य विभाग

दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद और उपयोग

दवाओं और उपकरणों की खरीद में इंडेंट की प्रक्रिया में देरी, अयोग्य फर्मों को रेट कॉन्ट्रैक्ट की प्रदानगी, कीमत की अपर्याप्त तुलना जिससे ₹ 1.25 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ और दवाओं की आपूर्ति न करने के लिए ₹ 1.09 करोड़ का जुर्माना न लगाना जैसी कमियां थी। चिकित्सा केंद्रों पर दवाओं की उपलब्धता अपर्याप्त थी। दवाओं की स्थानीय खरीद के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एक समान नहीं थी और इसमें पारदर्शिता का अभाव था। इसके अतिरिक्त, सुविधा केंद्रों पर ₹ 1.81 करोड़ मूल्य के उपकरण अप्रयुक्त पड़े थे।

(अनुच्छेद 3.6)

गृह और न्याय प्रशासन विभाग

वेतन एवं भत्तों पर निष्फल व्यय

राज्य सरकार अगस्त 2013 से राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करने में विफल रही और प्राधिकरण अकार्यात्मक रहा। इसके परिणामस्वरूप अगस्त 2013 से प्राप्त हुई 681 शिकायतों का निपटान नहीं किया जा सका जिसके कारण न केवल प्राधिकरण स्थापित करने का विधायी आशय अप्राप्य रहा बल्कि इसमें तैनात कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों पर ₹ 1.24 करोड़ का व्यय व्यर्थ रहा।

(अनुच्छेद 3.7)

आवास विभाग (हाउसिंग बोर्ड हरियाणा)

परित्यक्त आवास परियोजना पर परिहार्य व्यय

रोहतक में हाउसिंग बोर्ड द्वारा वर्धित लागतों के लिए आबंटियों की सहमति तथा परियोजना की व्यवहार्यता निश्चित किए बिना फ्लैटों का निर्माण कार्य शुरू करने के परिणामस्वरूप परियोजना पर ₹ 8.98 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ जिसे अंत में परित्यक्त कर दिया गया।

(अनुच्छेद 3.8)

उद्योग और वाणिज्य विभाग

ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा

ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा से सामने आया कि डाटाबेस प्रशासक और सिस्टम प्रशासक के मध्य कर्तव्यों के अलग-अलग न होने के कारण राज्य में ई-प्रोक्योरमेंट डाटाबेस अवांछित हस्तक्षेप के जोखिम से भरा था । एक्सेस लॉग की पर्यवेक्षी समीक्षा नहीं की गई है और रिमोट लॉग सर्वर प्रदान नहीं किया गया है। डाटा प्रविष्ट करने के लिए वैधता जाँच अपर्याप्त थी जिसके परिणामस्वरूप बोली प्रस्तुत करने के लिए अपर्याप्त समय प्रदान किया जाना था, विक्रेताओं के कई पंजीकरण, निविदा बंद होने के बाद बोली को खोलना और वापस लेना, अमान्य जानकारी पर कब्जा करना, आदि था। पिछले लेन-देन की जाँच करने के लिए ऑडिट ट्रेल नहीं रखा गया था। निदेशक, आपूर्ति एवं निपटान ने परिकल्पना के बावजूद अनुबंध और कैटलॉग प्रबंधन मॉड्यूल को लागू नहीं करवाया था और खरीद के आदेश ऑन-लाइन सृजित नहीं किए जा रहे थे।

(अनुच्छेद 3.9)

बायलर के लिए निरीक्षण शुल्क की कम वसूली

भारत सरकार की अधिसूचना के 23 महीने की देरी के बाद विभाग ने बॉयलरों के लिए संशोधित निरीक्षण शुल्क कार्यान्वित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.45 करोड़ की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 3.10)

सिंचाई और जल संसाधन विभाग

अधूरी सिंचाई परियोजना

सिरसा जिले में सिंचाई कवरेज संवर्धित करने और ग्राउंड वाटर टेबल में सुधार करने के लिए नहरों के निर्माण की परियोजना, फीडर नहर की रिमॉडलिंग, भूमि के अधिग्रहण में देरी और कटाई हेतु अपेक्षित पेड़ों के चिह्नीकरण में देरी जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियों के निष्पादन में देरी के कारण ढाई वर्ष तक विलंबित हुई। परियोजना पर किया गया ₹ 40.14 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

(अनुच्छेद 3.11)

जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

अधूरी सीवरेज योजना

रोहतक में 40 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले अधूरे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर किया गया ₹ 13.11 करोड़ का व्यय निष्फल रहा था क्योंकि अनुपचारित सीवेज को पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का उल्लंघन कर निस्तारित किया जा रहा था।

(अनुच्छेद 3.12)

अपूर्ण कार्यों पर निष्फल खर्च

मतानी (भिवानी) और खोरड़ा (चरखी-दादरी) में दो जल आपूर्ति स्कीमों की शुरुआत नहरी पानी के स्रोत के समुचित मूल्यांकन के बिना और परियोजनाएं पूर्ण करने में लापरवाही पूर्ण रवैये के कारण स्कीमों पर किया गया ₹ 10.47 करोड (₹ 9.01 करोड़ + ₹ 1.46 करोड़) का व्यय निष्फल रहा। इसके अतिरिक्त लोगों को पीने के पानी से वंचित रखा गया।

(अनुच्छेद 3.13)

लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)

निधि के विलंब से जमा होने के कारण परिहार्य व्यय

रोहतक-महम-हांसी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भू-स्वामियों को अधिग्रहण के लिए भुगतान करने हेतु निधियां जमा करने में 508 दिनों के विलंब के कारण ₹ 26.24 करोड़ के परिहार्य ब्याज का भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 3.14)

राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग

क्षतिग्रस्त फसलों के लिए अमान्य मुआवजों का भुगतान

विभाग द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी किए निर्देशों का पालन न करने के कारण फारूखनगर (गुरूग्राम), सिरसा और रानियां (सिरसा) तहसीलों के 727 किसानों को ओलावृष्टि से क्षतिग्रस्त फसलों के लिए दो हेक्टेयर से अधिक भूमि पर मुआवजे का भुगतान किया गया जिससे ₹ 3.07 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

(अनुच्छेद 3.15)

विद्यालय शिक्षा विभाग (हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद)

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत बुनियादी ढांचे का विकास

हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा अपर्याप्त निगरानी के कारण निर्माण कार्यों में प्रगति धीमी रही तथा भारत सरकार ने और निधियां जारी नहीं कीं। आवश्यकता का आकलन किए बिना ₹ 62.50 लाख की निधियां जारी करने, चूककर्ताओं से ₹ 12.30 लाख की वसूली न

करने और ₹ 2.03 लाख के संदिग्ध गबन के दृष्टांत थे। व्यावसायिक शिक्षा स्कीम के अंतर्गत 406 प्रयोगशालाओं के निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध केवल 194 प्रयोगशालाएं पूर्ण की गई थी। ₹ 47.18 करोड़ की लागत पर निर्मित 29 कन्या छात्रावास खाली पड़े थे। राज्य में शिक्षकों की तैनाती सही अनुपात में नहीं थी, क्योंकि छात्र-शिक्षक अनुपात पिछड़े क्षेत्रों में अधिक (30 के मानदंड के विरूद्ध 36.2 और 44 के मध्य) तथा जिला/ब्लॉक मुख्यालय के पास स्थित स्कूलों में कम (17.08 और 20.79 के मध्य) था।

(अनुच्छेद 3.16)

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग

वित्तीय पर्याप्तता का आकलन किए बिना लाइसेंस की प्रदानगी

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा वित्तीय पर्याप्तता का आकलन किए बिना दो कॉलोनाइजर को लाईसेंस प्रदान करने में अदेय लाभ के कारण ₹ 180.58 करोड़ के सरकारी प्राप्य धन लंबित रहे।

(अनुच्छेद 3.17)

नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग (हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण)

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में राजस्व सृजन

चूककर्ताओं के विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ न करने, विकसित सैक्टरों में 24,355 अनाबंटित संपदाओं की नीलामी के लिए अपर्याप्त प्रयासों ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में राजस्व सृजन को बाधित किया। आबंटी लैजरों का मिलान न होने से ₹ 17.18 लाख की जालसाजी का पता नहीं चला, अधिग्रहित भूमि के समयबद्ध विकास के लिए परिप्रेक्ष्य योजना तैयार नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, ₹ 17,302.19 करोड़ के वर्धित भूमि मुआवजे की वसूली में विलंब, ₹ 19.55 करोड़ के बाहरी विकास प्रभारों की वसूली न होना, ₹ 43.59 करोड़ की पुन:ग्रहित रखी गई संपत्तियों में व्यापार जारी रखना, पानी और सीवरेज प्रभारों की वसूली न होना और पेट्रोल पंप, शराब की दुकानों जैसी पट्टे की संपत्ति के संबंध में लंबित किराए ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में राजस्व सृजन को प्रभावित किया।

(अनुच्छेद 3.18)

खेल परिसर के निर्माण कार्य में अनियमितताएं

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा ताऊ देवी लाल खेल परिसर, गुरूग्राम में बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण का कार्य संरचनात्मक डिजाइन और विस्तृत अनुमान तैयार किए बिना प्रदान किया गया था। ₹ 22.75 करोड़ के प्रशासनिक स्वीकृति के विरूद्ध ₹ 21.50 करोड़ का व्यय होने पर भी ठेकेदार द्वारा केवल नींव स्तर तक का कार्य किया गया था। पूर्णता की लक्षित तिथि के दो वर्षों के बाद भी कार्य अपूर्ण रहा।

(अनुच्छेद 3.19)

इनडोर स्टेडियम की निर्माण लागत में वृद्धि और अनुबंध में अनियमित संशोधन

ठेके की प्रदानगी के बाद निर्माण कार्य के क्षेत्र में वृद्धि के कारण इनडोर स्टेडियम के निर्माण की लागत ₹ 15 करोड़ बढ़ गई। नियत प्रक्रिया का पालन किए बिना कार्य की नई मदों को जोड़कर परियोजना लागत में वृद्धि की गई। कार्य, पूर्णता की निर्धारित तिथि के तीन वर्षों से अधिक समय बीतने तथा ₹ 20.39 करोड़ का व्यय करने के बाद भी अपूर्ण रहा।

(अनुच्छेद 3.20)

एक अयोग्य ठेकेदार को अनुबंध में संवर्धन के माध्यम से कार्यों का आबंटन

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा अनुबंध में ₹ 9.54 करोड़ से ₹ 52.15 करोड़ तक की अनियमित बढ़ोतरी की गई। निविदा आमंत्रित किए बिना, बढ़ोतरी द्वारा अतिरिक्त सड़कों के निर्माण का कार्य एक अयोग्य ठेकेदार को आबंटित किया गया। समग्र कार्य को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा भी तय नहीं की गई। ठेकेदार द्वारा दो वर्षों में केवल छः प्रतिशत सड़क का निर्माण किया गया। ₹ 2.60 करोड़ की निष्पादन गारंटी प्राप्त न करने के कारण सरकारी हित अरक्षित रहे।

(अनुच्छेद 3.21)

भूमिका अधिग्रहण न होने के कारण अपूर्ण जलापूर्ति स्कीमें

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण भूमि के अधिग्रहण के बिना निर्माण कार्यों का आबंटन और परियोजनाओं के लिए बाधा मुक्त भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने में विफलता के कारण गुरुग्राम और सोनीपत में मुख्य जलापूर्ति परियोजनाएं अपूर्ण रहीं। जिससे ₹ 300.76 करोड़ का व्यय अनुपयोगी रहा और बिना बिछाए पाइपों पर भुगतान से ₹ 26.35 करोड़ का अवरोधन हुआ। इसके अतिरिक्त, पाइपलाइन बिछाने के लिए ठेकेदार द्वारा 8.75 एकड़ भूमि खरीदने के लिए अनियमित प्रावधान वाली दोषपूर्ण डिटेल्ड नोटिस इनवाईटिंग टेंडर के कारण सोनीपत में प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। नागरिकों को पीने का पानी उपलब्ध कराने का अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका।

(अनुच्छेद 3.22)

परिवहन विभाग

बसों का कमउपयोग

कार्यशाला सुविधाओं/मैकेनिकों के तकनीकी कौशल को उन्नत किए बिना तथा वार्षिक रख-रखाव अनुबंध का प्रबंध किए बिना उच्च तकनीकी विशिष्टताओं वाली बसें खरीदने से 418 में से 317 बसों का कम उपयोग हुआ और इसके फलस्वरूप ₹ 48.81 करोड़ की हानि हुई। विभाग ने ऑफ-रोड बसों के बीमा और रोड टैक्स के लिए ₹ 1.91 करोड़ का भुगतान किया, जो कि परिहार्य था।

(अनुच्छेद 3.23)